


12.02.2019

अपीलांट व रेसपोडेन्ट अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी भीनमाल) ने व्यक्त किया। अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र 03.12.2018 को प्राप्त होने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित सूचना अधिशाषी अधिकारी नगर भीनमाल में संधारित होने के कारण अपीलांट का आवेदन पत्र जरिए पत्रांक 548 दिनांक 10.12.2018 को अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल को अंतरित किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट को दी गई तत्पश्चात इस संबंध में अपीलांट को जरिए पत्रांक 549 दिनांक 10.12.2018 से पुनः सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी भीनमाल) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही सूचना कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल को अंतरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) का आवेदन पत्र अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल को किये गये उक्त अंतरण विधीवत है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।


प्रथम अपीलीय अधिकारी
(बिला कलेक्टर)
जालोर

